आदेश

गृह विभाग (आरक्षी शाखा), बिहार सरकार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–4229, दिनांक–23.05.2017, तदनुसार पुलिस मुख्यालय के ज्ञापांक–6860/पी03, दिनांक–13.06.2017 के आलोक में पुलिस मुख्यालय एवं संलग्न कार्यालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु केन्द्रीय अनुकंपा समिति की बैठक दिनांक–04.12.2017 को आयोजित किया गया। उक्त बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित प्रस्तावों को लंबित/अस्वीकृत किया जाता है :–

क्र0 स0	आश्रित (आवेदक) का नाम/संबंध/कोटि	मृत सरकारी सेवक का नाम/पदनाम/अंतिम पदस्थापन/मृत्यु का कारण	सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि/आश्रित द्वारा आवेदन समर्पित करने की तिथि	नियुक्ति हेतु प्रस्तावित पद का नाम	पिता/पति की मृत्यु की तिथि को आवेदक/आवेदिका की उम्र/शारीरिक माप	समिति की अनुशंसा
1	2	3	4	5	6	7
1	अमित कुमार/पुत्र/अनु0जा0	स्व0 शिवनाथ राम/पु0नि0/अप0अनु0वि0/	08.04.09 07.02.12	सिपाही	उम्र 21 वर्ष 01 माह 10 दिन/ऊँचाई–168 से0मी0/सीना–84–92 से0मी0	**लंबित** (आवेदक को सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ था किन्तु आवेदक की माँ नैना देवी द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर अपने पुत्र को अनुशंसित नही करने का अनुरोध किया गया।**आवेदक की माँ से दोबारा आवेदन पत्र, शपथ–पत्र एवं अद्यतन अनियोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त कर अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय)**
2	अनूप जलोटा/पुत्र/अनु0जा0	स्व0 विजय कुमार राम/अ0नि0/अप0अनु0वि0/	04.03.12 29.06.12	सिपाही	उम्र 21 वर्ष 06 माह 22 दिन/ऊँचाई–170से0मी0/सीना–99–104 से0मी0	**लंबित** **(आश्रितों का अद्यतन अनियोजन प्रमाण–पत्र प्राप्त अविलम्ब पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय)**
3	देवेन्द्र कुमार/पुत्र/अ0पि0व0	स्व0 चरित्र मंडल/स0अ0नि0/विशेष शाखा/आकस्मिक मृत्यु	15.10.13 13.02.14	सिपाही	उम्र 27 वर्ष 10 माह 14 दिन/ऊँचाई–164 से0मी0/सीना– 97.5–103 से0मी0	**लंबित** **(आवेदक की माँ से उनके बड़े बेटे के द्वारा की गयी आपति पर पुनः अनुशंसा प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय)**
4	रविकान्त प्रियदर्शी/पुत्र/पि0व0	स्व0 रघुनाथ प्रसाद/स0अ0नि0/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/ –	29.10.06 --	सिपाही		**अस्वीकृत** **(आवेदक द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र है।द्वितीय पत्नी से उत्पन्न पुत्र को सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या–937, दिनांक–23.06.2005 में निहित प्रावधान के तहत् अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं होने के कारण** आवेदक को पूर्व में बाल सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए आवेदक का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है)
5	चन्द्रभान/पुत्र/सामान्य	स्व0 विजय कुमार सिंह/पुलिस उपाधीक्षक/निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/हृदयाघात	06.08.13 06.01.17	लिपिक	24 वर्ष 10 माह 10 दिन	**लंबित** (निहित प्रपत्र का फोटो अभिप्रमाणित नहीं है तथा **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–821, दिनांक–23.03.2011 में निहित प्रावधान के तहत् निर्धारित कोटा के अन्तर्गत अनुकंपा के आधार पर निम्नवर्गीय लिपिक के पद की रिक्ति नहीं रहने के कारण आवेदक से सिपाही के पद पर नियुक्ति हेतु विकल्प प्राप्त कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय)**
6	अनुपम कुमारी/पुत्रवधु/सामान्य	स्व0 विवेकानन्द शर्मा/स0अ0नि0 (ऑप)/बिहार पुलिस रेडियो/बीमारी	11.01.16 12.06.17	सिपाही	27 वर्ष 04 माह 01 दिन /ऊँचाई–153.3 से0मी0	**लंबित** **(मृतक की पत्नी शोभा देवी का अपने पुत्रवधु के पक्ष में अनापति शपथ–पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराया जाय)**
7	रंजन कुमार सिन्हा/पुत्र/ सामान्य	स्व0 हृदय नारायण प्रसाद/हेल्पर/वितन्तु/ –	12.04.10 12.03.12	सिपाही	44 वर्ष 03 माह 19 दिन	**लंबित** **(अनियोजन प्रमाण–पत्र के संबंध में जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय)**

8	श्रेय शेखर /पुत्र/ अनु0जा0	स्व0 गणेश प्रसाद बैठा/ पु0नि0(ऑप)/ वितन्तु/ –	11.12.13 –	सिपाही		**अस्वीकृत** (आवेदक का बड़ा भाई आई0ओ0सी0 में एरिया मैनेजर के पद पर में कार्यरत/नियोजित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निर्गत पत्रांक–1781,दिनांक–10.05.2010 के तहत् परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सी0डब्लू0 जे0सी0संख्या–6668/2003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0संख्या–7044/ 2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के Gainfully नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। Gainfully नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण–पोषण हो सके, के आलोक में आवेदक का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है)
9	मो0 साकिब उमर/पुत्र /अ0पि0व0	स्व0 अब्दुल मन्नान अंसारी/ स0अ0नि0 (ऑप) /वितन्तु/ हेपेटाईटिस–बी0	15.05.06 11.12.06	सिपाही	आवेदक का वर्तमान उम्र 18 वर्ष से अधिक है।	**अस्वीकृत** (आवेदक का बड़ा भाई संविदा पर आयुष (यूनानी) चिकित्सक के पद पर में कार्यरत/नियोजित रहने के कारण सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से निर्गत पत्रांक–1781,दिनांक–10.05.2010 के तहत् परिचारित माननीय पटना उच्च न्यायालय पटना के द्वारा सी0डब्लू0 जे0सी0संख्या–6668/2003 तथा सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या–7044 2003 में पारित समेकित आदेश दिनांक–27.07.2004 के आलोक में सेवाकाल में मृत सरकारी कर्मी के आश्रितों में से किसी के Gainfully नियोजित होने की स्थिति में उसके अन्य आश्रितों के साथ रहने अन्यथा नहीं रहने के बावजूद अन्य आश्रितों में से किसी को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है। Gainfully नियोजित रहने से तात्पर्य ऐसे नियोजन से है जिससे मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का भरण–पोषण हो सके, के आलोक में आवेदक का प्रस्ताव अस्वीकृत किया जाता है)

पुलिस महानिदेशक, बिहार के आदेशानुसार

25.1.16

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना

ज्ञापांक 67/350/96/पी03

43–38–44–2017
पुलिस महानिदेशक के कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांकः– 24-01-2018

C.N. – 27634/2018
24-01-18

प्रतिलिपि :–

1. सभी संबंधित अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
2. सभी संबंधित पुलिस महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी संबंधित पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।
4. पुलिस अधीक्षक (सी0), अपराध अनुसंधान विभाग/पुलिस अधीक्षक (अ) विशेष शाखा/पुलिस अधीक्षक,एस0टी0एफ0/ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो/वितंतु, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

– जिन आवेदकों/आवेदिकाओं के प्रस्ताव में त्रुटि अथवा आवश्यक कागजात अप्राप्त रहने के कारण **लंबित** हैं, उन आवेदकों/आवेदिकाओं से आवश्यक कागजात प्राप्त कर त्रुटि का निराकरण करते हुए वांछित कागजात एक सप्ताह के अन्दर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

– **अस्वीकृत** आवेदकों/आवेदिकाओं का पुलिस मुख्यालय में उपलब्ध सभी मूल कागजात वापस किया जाता है।

5. आई0टी0मैनेजर, पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

25.1.16

पुलिस महानिरीक्षक के सहायक (कल्याण),
बिहार, पटना